**संख्या-4/2026/10/60-1-2026-सी-1890130**

**प्रेषक,**

**प्रेम प्रकाश सिंह,**

**संयुक्त सचिव,**

**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**

**महिला कल्याण,**

**उ0प्र0, लखनऊ।**

**महिला कल्याण अनुभाग-1** **लखनऊ::दिनांक:: 20 जनवरी**, 2026

**विषय:- विभागीय एवं स्वै0 संगठनों के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में भोजन की आपूर्ति हेतु धनराशि की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।**

**महोदया,**

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-878-879/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/ 2025-26, दिनांक 31.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत विभागीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों में भोजन मद में योजनान्तर्गत टॉपअप की व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-दान संख्याव्ययक में अनु-49 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-09-विभागीय एवं स्वै० संगठनों के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में भोजन की आपूर्ति मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद से मानक मद-41-भोजन व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रूपये 792.00 लाख (रूपये सात करोड़ बानबे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,92,00,000 (रुपये सात करोड़ बानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखाशीर्षक-2235021020900-विभागीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में भोजन की आपूर्ति मानक मद-41-भोजन व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-242-E-4-169-X-2025-26, दिनाँक 16.01.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

**<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>**

**भवदीय**

**(प्रेम प्रकाश सिंह)**
**संयुक्त सचिव**

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(अवनीश कुमार सिंह)**

**अनु सचिव**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।